ऑन लाईन नं. GCMS 2022/103

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 22/2022

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री रोशन लाल अरोड़ा पुत्र श्री ओमप्रकाश अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासी 187 मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर।

मैसर्स :– दौलतपुरिया किराना भण्डार, 26 पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ा)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 30.05.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2021 को दोपहर बाद 12.30 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ विक्रेता एवं मालिक श्री रोशन लाल अरोड़ा पुत्र श्री ओमप्रकाश अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासी 187 मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर, मैसर्स दौलतपुरिया किराना भण्डार, 26 पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/ संस्थान पर मालिक श्री रोशन लाल अरोड़ा पुत्र श्री ओमप्रकाश अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासी 187 मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर, कारोबार कर रहा था, जिसका विक्रेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र मौके पर दिखाया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में 500–500 ग्राम के **सरसों तेल (5 स्टार ब्राण्ड)** विक्रय हेतु रखी थी। शुद्वता की जांच हेतु उसमें से 04 पैक बोतले नमूने वास्ते लिये एवं विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात 500–500 ग्राम के **सरसों तेल (5 स्टार ब्राण्ड)** में से 4 पैक बोतले जांच हेतु लिये , जिसके पेटे 360/–रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने 500–500 ग्राम के **सरसों तेल (5 स्टार ब्राण्ड)** में से 4 पैक बोतले के नमूनें वास्ते लिये, जिसको मूल 4 पैक अलग–अलग भाग में प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1258** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1258** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1258 सरसों तेल (5 स्टार ब्राण्ड)** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता रोशन लाल अरोडा पुत्र श्री ओमप्रकाश अरोड़ा ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/485/एक्ट/2021/473 दिनांक 15.11.2021 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1258 Sub-Standard & Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री रोशन लाल अरोड़ा पुत्र श्री ओमप्रकाश अरोड़ा जाति अरोड़ा निवासी 187 मुखर्जी नगर, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mustard Oil(5 Staar)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी की दुकान से जो सैम्पल सरसों तेल का लिया गया वह बिक्री नहीं किया गया और न ही बिक्री हेतु रखा हुआ था। प्रार्थी द्वारा तेल का विक्रय भेजे जाने वाले से बिल प्राप्त होनेपर ही किया जाना था। यह तथ्य सैम्पल लिये जाने वाले अधिकारी को बता दिया गया था। सैम्पल की जांच रिपोर्ट में केवल एक मात्र **Acid Value** अधिक पायी गयी है जो सही स्टोरेट सैम्पल का नहीं करने के कारण आयी है और इस आधार पर **Misbranded Food** नहीं कहा जा सकता और न ही सैम्पल रिपोर्ट में ऐसा कोई **Allegation** है कि तेल में **Acid** की मिलावट की गयी हो। सैम्पल नियमानुसार नहीं लिया गया। प्रार्थी प्रकरण को लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाना चाहता है इसलिए उदार रवैया अपनाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि उदार रवैया अपनाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ★ श्रीगंगानगर (राज.) ★

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard Oil (5 Staar)** का सैम्पल के–1258 जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/485/एक्ट/2021/473 दिनांक 15.11.2021 द्वारा **Sub-Standard & Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है प्रार्थी की दुकान से जो सैम्पल सरसों तेल का लिया गया वह बिक्री नहीं किया गया और न ही बिक्री हेतु रखा हुआ था। प्रार्थी द्वारा तेल का विक्रय भेजे जाने वाले से बिल प्राप्त होनेपर ही किया जाना था। यह तथ्य सैम्पल लिये जाने वाले अधिकारी को बता दिया गया था। सैम्पल की जांच रिपोर्ट में केवल एक मात्र **Acid Value** अधिक पायी गयी है जो सही स्टोरेट सैम्पल का नहीं करने के कारण आयी है और इस आधार पर **Misbranded Food** नहीं कहा जा सकता और न ही सैम्पल रिपोर्ट में ऐसा कोई **Allegation** है कि तेल में **Acid** की मिलावट की गयी हो। सैम्पल नियमानुसार नहीं लिया गया। प्रार्थी प्रकरण को लोक अदालत की प्रेरणा से निस्तारण करवाना चाहता है इसलिए उदार रवैया अपनाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। अतः प्रकरण खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mustard Oil (5 Staar)** "**Code No and Sr. No. K-1258 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standard (Food Products Standards and Food Additive) Regulations,2011. The sample is also Misbranded Food under section 3(i)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त रोशन लाल अरोड़ा को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त रोशन लाल अरोड़ा को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में " **Mustard Oil (5 Staar)** " खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर